

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक:- मुसप्र/2024/382

दिनांक:- 09/9/24

## कार्यालय आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-बीकानेर व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड नागौर के अधीन ताउसर रोड़ डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्गों के कुल 285 रिहायशी भूखण्डों का नीलामी (ई-ऑक्शन) के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

S.NO.	SECTOR	CATEGORY	RESIDENTIAL PLOTS. NO.	TOTAL NO. OF PLOTS
1	1	HIG	1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/82, 1/83, 1/84, 1/85, 1/86, 1/87, 1/88, 1/89, 1/90, 1/91, 1/92, 1/93, 1/94, 1/95, 1/96, 1/97, 1/98, 1/99, 1/100, 1/101, 1/102, 1/103, 1/104	38
2		MIG-B	1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/64, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/69, 1/70, 1/71, 1/72, 1/73, 1/74, 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/81	52
3	2	MIG-B	2/358, 2/359, 2/360, 2/361, 2/362, 2/363, 2/364, 2/365, 2/366, 2/367, 2/368, 2/369, 2/370, 2/371, 2/372, 2/373, 2/374, 2/375, 2/376, 2/377, 2/378, 2/379, 2/380, 2/381, 2/382, 2/383, 2/384, 2/385, 2/386, 2/387, 2/388, 2/389, 2/390, 2/391, 2/392, 2/393, 2/394, 2/395, 2/396, 2/397, 2/398, 2/399, 2/400, 2/401	44
4		MIG-A	2/307, 2/308, 2/309, 2/310, 2/311, 2/312, 2/313, 2/314, 2/315, 2/316, 2/317, 2/318, 2/319, 2/320, 2/321, 2/322, 2/323, 2/324, 2/325, 2/326, 2/327, 2/328, 2/329, 2/330, 2/331, 2/332, 2/333, 2/334, 2/335, 2/336, 2/337, 2/338, 2/339, 2/340, 2/341, 2/342, 2/343, 2/344, 2/345, 2/346, 2/347, 2/348, 2/349, 2/350, 2/351, 2/352, 2/353, 2/354, 2/355, 2/356, 2/357	51
5	3	HIG	3/371, 3/372, 3/373, 3/374, 3/375, 3/376, 3/377, 3/378, 3/379, 3/380	10
6		MIG-B	3/344, 3/345, 3/346, 3/347, 3/348, 3/349, 3/350, 3/351, 3/352, 3/353, 3/354, 3/355, 3/356, 3/357, 3/362, 3/363, 3/364, 3/365, 3/366, 3/367, 3/368, 3/369, 3/370, 3/371, 3/372, 3/268, 3/269, 3/270, 3/271, 3/272	35
7		MIG-A	3/327, 3/328, 3/329, 3/330, 3/331, 3/332, 3/333, 3/334, 3/335, 3/336, 3/337, 3/338, 3/339, 3/340	13
8	4	MIG-B	4/01, 4/02, 4/03, 4/04, 4/05, 4/06, 4/07, 4/08, 4/09, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 4/31, 4/32, 4/33, 4/34, 4/35, 4/36, 4/37, 4/38	38
<b>TOTAL</b>				<b>285</b>

उपरोक्त वर्णित कुल 285 रिहायशी भूखण्डों को उप आवासन आयुक्त, वृत्त-बीकानेर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, जोधपुर द्वारा की गई अनुशाषा व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के आधार पर नीलामी से निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिकवाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।  
उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(प्रवीण कुमार अग्रवाल)  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
4. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-बीकानेर, राजस्थान आवासन मण्डल, बीकानेर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-नागौर, राजस्थान आवासन मण्डल, नागौर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar  
Agarwal

Designation : Chief Executive Officer प्रबन्धक

Date: 2024.09.08 22:55:21 IST

Reason: Approved